भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1883
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्ताल्पता और खनिजों की कमी से होने वाली अन्य बीमारियाँ

1883. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की एक बड़ी आबादी रक्ताल्पता और अन्य खनिज की कमी जैसी कई वीमारियों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तर संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और जारी/बर्च की गई धनराशि का इन बीमारियों से बचाव हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, देश भर में 15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) की व्यापकता 57.0 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति की आबादी में 64.6 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी में 58.5 प्रतिशत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (2019-21) के अनुसार, देश भर में 6-59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया का प्रसार 67.1 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की आबादी में 72.4 प्रतिशत और ग्रामीण आबादी में 68.3 प्रतिशत है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) की व्याप्तता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जीवन-चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) कार्यनीति लागू किया जा रहा है। इसमें जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता और अन्य खनिज की कमी को दूर करने के लिए नीचे दिए गए कार्यकलाप शामिल हैं:

1. **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, 10-19 वर्ष के किशोर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली मां और प्रजनन आयु की महिलाओं (20-49 वर्ष) के बीच एनीमिया की व्याप्तता को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम लागू करती है। इन कार्यकलापों में रोग निरोधी लौह एवं फोलिक एसिड अनुपूरण, 1-19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में कृमि नाश, गहन व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) अभियान, सरकार द्वारा वित्तपोषित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में आईएफए से पुष्ट भोजन का प्रावधान तथा मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी तथा फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानिक क्षेत्रों में रक्ताल्पता के गैर-पोषणिक कारणों को दूर करना शामिल हैं जिन्हें सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
2. चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंतरंग रोगी चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं। उपचारात्मक परिचर्या के अतिरिक्त, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और विटामिन संपूरकों के संपूरण के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों के सुधार और पूर्ण आयु-उपयुक्त देखभाल और आहार पद्धतियों पर माताओं और परिचारकों के कौशल में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुमोदित/उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक II और III** में दिया गया है।

जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी सहित स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के भाग (ख) के उत्तर हेतु दिनांक 02.08.2024 को संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

देश भर में 6-59 महीने की महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रसार (स्रोत: एनएफएचएस-5, 2019-21)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15-49 वर्ष की आयु की सभी महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं (%)	6-59 महीने की आयु के बच्चे जो एनीमिया से ग्रस्त हैं (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	57.5	40.0
2	आंध्र प्रदेश	58.8	63.2
3	अरुणाचल प्रदेश	40.3	56.6
4	असम	65.9	68.4
5	बिहार	63.5	69.4
6	चंडीगढ़	60.3	54.6
7	छत्तीसगढ़	60.8	67.2
8	दिल्ली	49.9	69.2
9	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	62.5	75.8
10	गोवा	39.0	53.2
11	गुजरात	65.0	79.7
12	हरियाणा	60.4	70.4
13	हिमाचल प्रदेश	53.0	55.4
14	जम्मू और कश्मीर	65.9	72.7
15	झारखंड	65.3	67.5
16	कर्नाटक	47.8	65.5
17	केरल	36.3	39.4
18	लद्दाख	92.8	92.5
19	लक्षद्वीप	25.8	43.1
20	मध्य प्रदेश	54.7	72.7
21	महाराष्ट्र	54.2	68.9
22	मणिपुर	29.4	42.8
23	मेघालय	53.8	45.1
24	मिजोरम	34.8	46.4
25	नगालैंड	28.9	42.7
26	ओडिशा	64.3	64.2
27	पुदुचेरी	55.1	64.0
28	पंजाब	58.7	71.1
29	राजस्थान	54.4	71.5
30	सिक्किम	42.1	56.4
31	तमिलनाडु	53.4	57.4
32	तेलंगाना	57.6	70.0
33	त्रिपुरा	67.2	64.3
34	उतार प्रदेश।	50.4	66.4
35	उत्तराखंड	42.6	58.8
36	पश्चिम बंगाल	71.4	69.0

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के भाग (ग) के उत्तर हेतु दिनांक 02.08.2024 को संदर्भित

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए एनएचएम के तहत एनीमिया के लिए एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(लाख रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22*		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
	भारत	**220371.28**	**161369.22**	**80175.41**	**27067.96**	**98479.11**	**33560.26**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.45	0.00	9.99	0.51	44.75	4.62
2	आंध्र प्रदेश	2018.16	2018.16	8569.74	3037.45	8,570.74	6,896.00
3	अरुणाचल प्रदेश	28.85	17.23	27.30	14.11	27.30	-
4	असम	11360.33	13808.37	2257.45	1721.50	1,564.65	1,225.98
5	बिहार	4078.28	310.52	7569.52	137.11	7,569.52	2,267.92
6	चंडीगढ़	0.50	0.04	0.00	0.00	-	-
7	छत्तीसगढ	2762.19	3413.05	1816.00	1654.30	1,734.61	615.67
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	6.57	0.00	12.84	8.42	12.84	3.59
9	दिल्ली	365.95	0.00	311.00	2.24	472.90	3.20
10	गोवा	816.29	286.71	123.97	33.45	123.97	30.29
11	गुजरात	4252.93	4146.37	2534.90	996.70	2,133.04	1,947.15
12	हरियाणा	13.65	0.10	1685.18	1833.31	1,695.64	1,863.62
13	हिमाचल प्रदेश	6510.00	6500.48	336.24	169.52	108.64	89.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	2236.78	53.88	777.48	343.20	927.48	42.09
15	झारखंड	3204.63	1726.22	5185.43	1967.88	4,798.84	451.52
16	कर्नाटक	13289.90	4384.06	2594.06	50.48	3,462.93	718.55
17	केरल	20103.00	17950.99	2540.73	1070.38	2,214.74	230.48
18	लद्दाख	60.50	10.64	8.48	13.60	8.48	7.94
19	लक्षद्वीप	38.85	10.14	5.25	5.00	5.47	0.90
20	मध्य प्रदेश	10350.21	9664.21	8518.16	4561.94	13,397.85	4,912.23
21	महाराष्ट्र	29607.98	25825.79	7285.50	970.40	7,366.95	1,918.71
22	मणिपुर	21.73	168.78	139.01	47.45	173.87	8.52
23	मेघालय	100.10	153.08	490.74	357.13	504.82	39.67
24	मिजोरम	381.54	179.65	132.10	1.82	111.06	50.12
25	नागालैंड	686.88	753.75	165.68	0.00	311.73	1.31
26	ओडिशा	384.71	39.20	2119.17	322.96	1,988.06	1,090.38
27	पुडुचेरी	54.22	45.17	248.49	83.99	248.49	20.27
28	पंजाब	4744.00	4902.03	1082.42	75.77	1,082.42	1,082.42
29	राजस्थान	60348.00	41320.12	3837.04	853.58	3,837.04	668.56
30	सिक्किम	344.10	503.82	49.74	43.68	49.74	38.20
31	तमिलनाडु	13125.48	12917.85	1273.11	233.90	1,273.11	669.63
32	तेलंगाना	1161.00	601.62	2390.04	3881.33	2,390.04	83.43
33	त्रिपुरा	200.50	194.61	605.05	51.48	679.93	543.17
34	उत्तर प्रदेश	17379.51	55.65	11768.65	834.48	25,785.11	4,349.42
35	उत्तराखंड	2285.91	1570.20	1372.12	226.46	1,420.41	218.18
36	पश्चिम बंगाल	8043.60	7836.72	2332.83	1462.45	2,381.95	1,466.93

1. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।

2. व्यय में केंद्रीय रिलीज के विरुद्ध व्यय, संबंधित राज्य शेयर रिलीज और वर्ष की शुरुआत में अप्रयुक्त शेष राशि शामिल है।

3. * उपरोक्त आंकड़ों में अन्य बातों के साथ-साथ गंभीर रूप से एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और रक्त विकार वाली महिलाओं के लिए अनुवर्ती तंत्र, आरसीएच प्रशिक्षण मानदंडों के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत रणनीति पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं (आशा/एएनएम) और संबद्ध विभाग कार्यकर्ताओं (शिक्षक/एडब्ल्यूडब्ल्यू) का एक दिवसीय उन्मुखीकरण, बच्चों (6-60 महीने) के लिए आईएफए सिरप (ऑटो डिस्पेंसर के साथ), बच्चों (5-10 वर्ष) के लिए आईएफए टैबलेट (आईएफए डब्ल्यूआईएफएस जूनियर टैबलेट- गुलाबी चीनी लेपित), प्रजनन आयु (20-49 वर्ष) में गैर-गर्भवती और गैर-स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आईएफए टैबलेट, विटामिन ए अनुपूरण और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम पर उन्मुखीकरण गतिविधियां, आईईसी सामग्री सहित सूक्ष्म पोषक तत्व अनुपूरण कार्यक्रम के लिए मुद्रण, रिपोर्टिंग प्रारूप, दिशानिर्देश/प्रशिक्षण सामग्री आदि (एएमबी और विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रमों के लिए), आदि शामिल हैं।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के भाग (ग) के उत्तर हेतु दिनांक 02.08.2024 को संदर्भित

अनुलग्नक- III

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए एनएचएम के तहत पोषण पुनर्वास केंद्रों के लिए एसपीआई पी अनुमोदन और व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22*		2022-23		2023-24	
		अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय	अनुमोदन	व्यय
	भारत	**98083.71**	**61867.71**	**10831.70**	**6922.01**	**10921.99**	**7682.01**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	42.92	1.67	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	3,789.23	3,595.01	185.45	75.50	254.60	198.18
3	अरुणाचल प्रदेश	469.99	271.61	19.04	10.31	26.78	-
4	असम	3,581.65	2,772.85	164.19	126.12	169.70	166.58
5	बिहार	1,616.20	1,004.23	896.63	352.33	870.51	364.90
6	चंडीगढ़	4.15	1.75	0.18	-	0.18	0.12
7	छत्तीसगढ़	5,514.90	3,392.78	649.50	649.49	649.50	534.39
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	73.00	37.25	0.78	3.16	0.78	1.13
9	दिल्ली	1,287.10	105.47	58.83	7.33	50.83	5.81
10	गोवा	50.37	15.91	-	-	-	-
11	गुजरात	7,384.49	5,210.48	1,046.41	671.26	1,048.33	1,211.81
12	हरियाणा	1,620.39	1,662.66	27.51	27.18	27.51	22.46
13	हिमाचल प्रदेश	526.31	291.94	15.74	4.00	17.09	4.58
14	जम्मू एवं कश्मीर	1,595.43	393.83	31.95	8.21	31.95	4.05
15	झारखंड	5,585.63	1,198.62	1,217.75	602.76	1,232.40	765.59
16	कर्नाटक	3,871.08	2,257.98	336.68	274.51	326.60	178.89
17	केरल	653.25	231.14	8.41	11.22	8.41	8.09
18	लद्दाख	92.53	18.66	11.58	0.60	19.30	5.10
19	लक्षद्वीप	6.98	0.45	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	9,236.78	6,549.28	3,406.29	2,244.1	3,155.05	2,200.59
21	महाराष्ट्र	6,171.02	5,281.94	420.91	272.16	410.03	315.76
22	मणिपुर	530.32	85.26	8.40	-	8.40	0.69
23	मेघालय	634.95	259.07	30.06	16.95	31.57	23.76
24	मिजोरम	197.64	66.55	-	-	-	7.30

25	नागालैंड	373.35	145.46	9.55	0.50	22.40	8.13
26	ओडिशा	5,446.05	3,973.61	740.29	560.73	740.29	538.26
27	पुदुचेरी	44.76	26.75	-	-	-	-
28	पंजाब	1,330.00	882.77	21.12	-	21.12	21.12
29	राजस्थान	5,365.19	2,473.80	230.88	125.64	230.88	167.16
30	सिक्किम	66.71	6.72	-	-	-	-
31	तमिलनाडु	826.56	863.41	35.85	20.61	31.85	22.76
32	तेलंगाना	2,176.58	1,683.48	123.20	30.13	123.20	38.44
33	त्रिपुरा	282.49	190.99	12.30	0.70	7.30	0.89
34	उत्तर प्रदेश	21,449.81	8,398.65	682.22	418.48	888.28	454.38
35	उत्तराखंड	547.13	203.83	5.52	1.96	6.20	5.90
36	पश्चिम बंगाल	5,638.77	8,311.85	434.48	406.07	510.96	405.20

1. एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।

2. व्यय में केंद्रीय रिलीज के विरुद्ध व्यय, संबंधित राज्य शेयर रिलीज और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि शामिल है।

3. * सभी सीएच कार्यक्रमों जैसे एम एए, एनडीडी, एएम बी, एनआरसी, वीआईटीए, आईएम एनसीआई, एफ-आईएम एनसीआई, आईडीसीएफ, एचबीवाईसी, एचबीएनसी, एनबीएसयू, एनएसएसके, एसएनसीयू, केएम सी, एसएएएनएस, परिवार भागीदारी देखभाल, सीडीआर, पीएईडी-एचडीयू आदि के लिए बजट आवंटन शामिल है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **1883** के भाग (घ) के उत्तर हेतु दिनांक **02.08.2024** को संदर्भित

अनुलग्नक IV

भारत सरकार द्वारा आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और खनिजों की कमी सहित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के निवारण हेतु कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम** स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें शीघ्र स्तनपान की शुरुआत आरंभ करने और पहले छह माह हेतु केवल स्तनपान पर बल दिया जाता है, इसके बाद फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-उपयुक्त पूरक आहार प्रथाओं पर बल दिया जाता है।

- महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ और बाल परिचर्या पर जागरूकता पैदा करने के लिए **ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** मनाए जाते हैं।

- **मातृ और बाल सुरक्ष कार्ड** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो बच्चों में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करती है।

- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)** के तहत जन्म से लेकर छह वर्ष की आयु तक के बच्चों की आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्ष में दो बार जांच की जाती है और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की वर्ष में एक बार 4 डी- जन्म के समय दोष, रोग, कमी और विकास में देरी के लिए जांच की जाती है, जिसमें 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों का समय रहते पता लगाना तथा इन पहचानी गई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए निःशुल्क उपचार और प्रबंधन शामिल है। आरबीएसके के तहत जांच के लिए एनीमिया स्वास्थ्य की एक स्थिति है, जिन बच्चों में एनीमिया होने का संदेह होता है, उन्हें निकटतम सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्र में भेजा जाता है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्ष अधिनियम (एनएफएसए) 2013,** जो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक कवरेज के लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है।

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)** के तहत, अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

- **मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम** एनएफएसए अधिनियम 2013 की अनुसूची II के तहत पोषण मानदंडों के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किशोरियों (14-18 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता प्रदान करता है।

- **शिक्ष मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण** (पीएम पोषण) योजना, एनएफएसए अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत पोषण मानदंडों के अनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (प्राथमिक-स्कूल) से कक्षा आठ तक के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ आहार प्रदान करती है।

- **कैल्शियम अनुपूरण** - 360 कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां (500 मिलीग्राम मौलिक कैल्शियम और 250 आईयू विटामिन डी 3) 6 माह की अवधि के लिए पहली तिमाही के बाद गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद माताओं को खनिज की कमी के जोखिम को कम करने के लिए दी जाती है।

- **जननी शिशु सुरक्ष कार्यक्रम (जेएसएसके)** प्रत्येक गर्भवती महिला को जन स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क परिवहन, निदान, दवाईयों, रक्त, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान के साथ-साथ सीजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क प्रसव का अधिकार देता है।
